

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1195]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 2011/आषाढ़ 1, 1933 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 2011/ASADHA 1, 1933

No. 1195]

मृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2011

का.आ. 1433(अ).—केन्द्र सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (अ) के उप-खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विदेशी स्रोत नहीं माना जाएगा :—

"ग्लोबल डिवेलपमेंट नेटवर्क"

[फा. सं. II/21022/9(1)/2008-एफ.सी.आर.ए.-III] जी. वी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2011

S.O. 1433(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (j) of sub-section (1) of Section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, the Central Government hereby specifies that the following international organisation shall not be treated as foreign source for the purposes of the said Act:—

"Global Development Network"

[F. No. II/21022/9(1)/2008-FCRA-III]
G. V. V. SARMA, Jt. Secy.